



केंद्रीय भंडारण निगम  
(भारत सरकार का उपक्रम)



CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION  
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

जन जन के लिए भण्डारण/WAREHOUSING FOR EVERYONE

क्र/के.भ.नि/क्षे.का.चंडीगढ़/2023-24/

दिनांक: 26.06.2023

## कार्यालय ज्ञापन

**विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) से संबंधित शिकायत के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन ।**

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से और निगमित कार्यालय, नई दिल्ली के परिपत्र दिनांक 29.05.2013 का संदर्भ लेते हुए चंडीगढ़ क्षेत्र की आंतरिक शिकायत समिति का तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार गठन किया जाता है-

1	श्रीमती मनप्रीत कौर, प्रबन्धक (लेखा), क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	अध्यक्ष
2	श्री के. चंद्रशेखर, प्रबन्धक (तकनीकी), क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	सदस्य
3	श्रीमती रेनू यादव, सहायक प्रबन्धक (स्थापना), क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	सदस्य
4	सुश्री रुची सेखरी, अधिवक्ता, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट।	सदस्य

आंतरिक शिकायत समिति, शिकायतों की जांच करेगी और "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के तहत आवश्यक समझी जाने वाली सिफारिशें देगी। समिति समय पर शिकायत के निवारण के लिए जिम्मेदार होगी ।

(प्रकाश चन्द्र राय)  
क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रति-  
समिति सदस्य

### प्रतिलिपि-

- समूह महाप्रबंधक (कार्मिक), केन्द्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- समस्त अनुभागाध्यक्ष, के. भ. नि., क्षे. का., चंडीगढ़।
- समस्त भंडारगृह प्रबन्धक, चंडीगढ़ क्षेत्र।



केंद्रीय भंडारण निगम  
(भारत सरकार का उपक्रम)



**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION**  
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

जन जन के लिए भण्डारण/WAREHOUSING FOR EVERYONE

No.CWC/RO-CHD/Estt./2023-24

Dated: 26.06.2023

## **OFFICE MEMORANDUM**

### **Constitution of internal complaints committee to redress grievances related to sexual harassment of women at workplace.....reg**

With the approval of competent authority and in consonance of the guidelines issued by CO vide circular dated 29<sup>th</sup> May 2013, the following internal complaints committee is constituted with immediate effect for Chandigarh Region:

1	Smt Manpreet Kaur, Manager, Accounts, Regional Office, Chandigarh	Chairperson
2	Sh. K Chandrasekhar, Manager, Technical div., Regional Office. Chandigarh	Member
3	Smt Renu Yadav, Assistant Manager, Establishment div., Regional Office, Chandigarh	Member
4	Ms Ruchi Sekhri, Advocate, Punjab and Haryana High Court	Member

The internal complaints committee shall inquire into the complaints and give recommendations as may be considered necessary under the provisions of "The Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) act, 2013." The committee shall be responsible for timely redressal of grievances/ complaints as and when made by the victim women employees.

(Prakash Chandra Rai)

Regional Manager

To

The Committee members

Copy to:

1. The GGM (Pers.), CWC CO, New Delhi
2. All HoDs, CWC, RO Chandigarh
3. All Warehouse Managers, Chandigarh Region